सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

वाद संख्याः 2019/3 दायर दिनांक 07.01.2019

वादीगण		प्रतिवादी
1. ओमप्रकाश पुत्र बालुराम, 2. नानुड़ी देवी पत्नि बालुराम, जाति जाट, निवासी अलखुपराम, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित :—
1. हीरसिंह बलारा,एडवोकेट व रणजीत बलारा अधिवक्ता वादी की और से।

—:: निर्णय ::— दिनांक 11.01.2019

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ओमप्रकाश, वादीनी नानुड़ी का जायन्दा पुत्र है, वादीगण की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 641 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा संख्या 643/1100 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा संख्या 646/1101 रकबा 0.3000 हैक्टेयर व खसरा संख्या 722/1104 रकबा 0.5800 हैक्टेयर कुल 1.1300 हैक्टेयर वाके अलखपुरा स्थित है। जमाबन्दी की नकल वादी के साथ पेश है। वादी ओमप्रकाश पुत्र बालुराम के नाम का अंकन वर्तमान जमाबन्दी की नकल में सहव से भोमाराम पुत्र बालुराम दर्ज हो गया तथा वादीनी नानूड़ी पत्नि बालुराम के नाम का अंकन सहव से नन्दु देवी पुत्री बालुराम दर्ज हो गया। अर्थात नन्दू देवी स्वर्गीय बालुराम की 68 वर्ष की पत्नि है, जिसका जमाबन्दी में सहव से बालुराम की पुत्री दर्ज कर दी गयी है। वादी ओमप्रकाश पुत्र बालुराम सही नाम है और यही नाम ओमप्रकाश के आधार कार्ड उसके ड्राइविंग लाइसेन्स, निर्वाचन आयोग का परियच पत्र में दर्ज है तथा इसी प्रकार वादीनी नानूड़ी देवी पत्नि बालुराम सही नाम है और यही नाम जिला सैनिक कल्याण अधिकारी डीडवाना द्वारा जारी परिचय कार्ड आधार कार्ड भामासिह कार्ड मे नानुड़ी देवी पत्नि बालुराम दर्ज है। वादीगण अपने नामो की दुरूस्ती करवाना चाहते है। जिसके कि वे जायज अधिकारी है। और इसलिये दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी को वास्ते जवाब देही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

पृष्ठ संख्या ......2.... लगातार

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी ने मौखिक साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 सी0 पी0 सी0 का शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादी का खतोनी की नकल प्रदर्श –1 है, नामान्तरण की नकल प्रदर्श –2 है, ओमप्रकाश का ड्राईविग लाइसेन्स प्रदर्श –3 है, औमप्रकाश का आधार कार्ड प्रदर्श –4 है, ओमप्रकाश का निर्वाचन कार्ड प्रदर्श –5 है, नानुड़ी का आधार कार्ड प्रदर्श –6 है, नानुड़ी का भामाशाह कार्ड –7 है।

पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

वादी वाद को डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहा है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद अलखपुरा में स्थित खेत खसरा संख्या 641, 643/1100 646/1101, 722/1104 की खातेदारी में से मोमाराम पुत्र बालुराम की जगह ओमप्रकाश पुत्र बालरुाम, व नन्दु देवी पुत्री बालुराम की जगह नानुड़ी देवी पत्नि बालुराम रेकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो, इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 10.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2019/3 दायर दिनांक 07.01.2019

वादीगण		प्रतिवादी
1. ओमप्रकाश पुत्र बालुराम, 2. नानुड़ी देवी पत्नि बालुराम, समस्त जाति जाट, निवासी अलखपुरा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. श्रीमान तहसीलदार साहब, डीडवाना

दावा बाबत् 136 लेण्ड रेवन्यु एक्ट

निर्णय दिनांक :– 11.01.2019

यह मुकद्दमा आज ववास्स्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा, अधिवक्ता, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि है दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद अलखपुरा में भोमाराम पुत्र बालुराम की जगह ओमप्रकाश पुत्र बालुराम व नन्दु देवी पुत्री बालुराम की जगह नानूड़ी देवी पत्नि बालुराम दुरूस्त किया जाता है,, इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

नीज..........–............मुबलिंग............मुबलिंग...........–..............बाबत............–............. आज की तारीख को अदा करें। बसब्त खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह ....–............ मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 11.01.2019 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner